अरविन्द जैन बनाम पी कुमार व अन्य
दीवानी वाद सं. 121/2014 (सी.आई.एस नं. 675/2014)

दिनांक 15–01–2019

वकुलाय पक्षकारान उप.। इस आदेशिका के जरिये प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सपठित धारा 151 व्य.प्र.सं. का निस्तारण किया जा रहा है।

बहस के दौरान प्रार्थीगण की ओर से मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि हस्तगत वाद में अरविन्द जैन का निधनल दिनांक 08–09–2018 को हो गया है, इसकी सूचना पत्रावली पर दिनांक 26–09–2018 को दी गई है। अरविन्द जैन की मृत्यु के पश्चात उनके निम्न विधिक वारिसान है :– (1)श्रीमती स्नेहलता जैन (पत्नी)(2) श्रीमती नमिता जैन (पुत्री),(3)श्रीमती दिव्या सैनी (पुत्री) समस्त निवासीगण– म.नं. 1880/25, ''सन्मति भवन'' आनासागर चौपाटी के सामने, लिंक रोड़, अजमेर है। मृतक वादी अरविन्द जैन के स्वर्गवास के उपरान्त उपरोक्त वर्णित विधिक वारिसान को बतौर वादीगण रिकार्ड पर लिए जाने के आदेश प्रदान किए जावे।

जब कि प्रतिवादीगण की ओर से बहस के दौरान तर्क दिया है कि अत्यन्त देरी से प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किया जावे।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि हस्तगत प्रकरण में वादी अरविन्द जैन द्वारा वाद प्रस्तुत किया है लेकिन उनका निधन दिनांक 08–09–2018 को होने का कथन किया गया है जिसके तीन विधिक वारिसान(1) श्रीमती स्नेहलता जैन, (2) श्रीमती नमिता जैन,(3)श्रीमती दिव्या सैनी हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई विधिक वारिसान हो, ऐसा प्रतिवादीगण द्वारा जाहिर नहीं किया गया है । जहां तक प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत करने का प्रश्न है तो उक्त प्रार्थन पत्र विधिनुसार 90 दिवस की अवधि में प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित मृतक के उपरोक्त तीनों विधिक वारिसान को वादीगण के रूप में संयोजित किया जाता है। संशोधित वाद शीर्षक आगामी पेशी पर प्रस्तुत करे।

पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित वाद शीर्षक हेतु दिनांक को पेश हो।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
अपर जिला न्यायाधीश क्रम 02, अजमेर।